कार्यालय,जिला शिक्षा पदाधिकारी,जमुई

कैम्प आयोजन से संबंधित कार्यक्रम

सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–1122, दिनांक–07.10.2016 के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू विषय में संशोधित शिक्षक नियोजन नियमावली 2015 के अनुसार कैम्प के माध्यम से नगर, प्रखंड एवं पंचायत शिक्षकों के नियोजन हेतु तिथिवार कैम्प का आयोजन का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित है :–

क्रम	नियोजन इकाई	दिनांक	उर्दू शिक्षक	कैम्प स्थल	समय
01	नगर परिषद्, जमुई एवं नगर पंचायत, झाझा	14.11.2016	स्नातक एवं बेसिक ग्रेड शिक्षक (वर्ग 6–8 एवं वर्ग 1–5 के लिये),	+2 उच्च विद्यालय, जमुई बाजार	पूर्वाह्न 10.30 बजे से 04.30 बजे तक।
02	सभी प्रखंड नियोजन इकाई	16.11.2016	स्नातक एवं बेसिक ग्रेड शिक्षक(वर्ग 6–8 एवं वर्ग 1–5 के लिये),	+2 उच्च विद्यालय, जमुई बाजार	
03	सभी पंचायत नियोजन इकाई	18.11.2016	पंचायत शिक्षक (वर्ग 1–5 के लिये),	प्रखंडाधीन चिन्हित् विद्यालय।	

पंचायत उर्दू शिक्षक नियोजन हेतु निर्धारित तिथि एवं कैम्प स्थल :–

क्रम	पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई	पंचायत का नाम	दिनांक	पद	कैम्प स्थल	
01	प्रखंड जमुई .	अमरथ, गरसंडा	18.11.2016	पंचायत शिक्षक (वर्ग 1–5 के लिये),	आदर्श पी0 डी0 मध्य वि0, जमुई	पूर्वाह्न 10.30 बजे से 04.30 बजे तक।
02	प्रखंड खैरा .	गोली, अरूणमाबांक, नीम नवादा, विशनपुर, गढ़ी, चुआँ, जीत झिंगोई, बानपुर	18.11.2016	पंचायत शिक्षक (वर्ग 1–5 के लिये),	मध्य विद्यालय, खैरा	
03	प्रखंड अलीगंज .	आढ़ा, दीननगर, सहौढ़ा, मिर्जागंज	18.11.2016	पंचायत शिक्षक (वर्ग 1–5 के लिये),	जनता उच्च विद्यालय, अलीगंज सोनखार	
04	प्रखंड लक्ष्मीपुर .	–	–	–	–	
05	प्रखंड सिकन्दरा .	भुल्लो, सबलबीघा, ईटासागर, पोहे	18.11.2016	पंचायत शिक्षक (वर्ग 1–5 के लिये),	मध्य विद्यालय, सिकन्दरा	
06	प्रखंड बरहट .	बरहट	18.11.2016	पंचायत शिक्षक (वर्ग 1–5 के लिये),	कृत्यानन्द मध्य विद्यालय, मलयपुर	
07	प्रखंड गिद्धौर के सभी पंचायत	मौरा, पतसंडा	18.11.2016	पंचायत शिक्षक (वर्ग 1–5 के लिये),	म0 च0 वि मंदिर, गिद्धौर	
08	प्रखंड झाझा .	बलियाडीह, टेलवा, रजलाकला, बैजला, चाँय, कानन, कनौदी, जागुखरैया, धमना	18.11.2016	पंचायत शिक्षक (वर्ग 1–5 के लिये),	म0 गाँधी स्मारक उ0 वि0, झाझा	
09	प्रखंड सोनो .	नैयाडीह, बेलम्बा, रजौन, छुछुनरिया, सारेवाद, पैरामटिहाना, लालीलेवार, बाबूडीह, महेश्वरी	18.11.2016	पंचायत शिक्षक (वर्ग 1–5 के लिये),	रा0 सं0 उच्च वि0, सोनो	
10	प्रखंड चकाई .	दुलमपुर	18.11.2016	पंचायत शिक्षक (वर्ग 1–5 के लिये),	एस0 के0 उच्च वि0, चकाई	

उक्त विवरण जिला के वेबसाइट **jamui.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

ह0/—
जिला शिक्षा पदधिकारी
जमुई।

ज्ञापांक 1608 जमुई, दिनांक 05/11/16

प्रतिलिपिः– संबंधित कैम्प स्थल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/11/16

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जमुई।

कार्यालय,जिला शिक्षा पदाधिकारी,जमुई

ज्ञापांक 1608 जमुई, दिनांक 05/11/16 /

प्रतिलिपि – संबंधित पंचायत सचिव/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, झाझा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/11/16
जिला शिक्षा पदाधिकारी
जमुई।

ज्ञापांक 1608 जमुई, दिनांक 05/11/16 /

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, जमुई की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

5/11/16
जिला शिक्षा पदाधिकारी
जमुई।

समाहरणालय, जमुई

(शिक्षा शाखा)
कार्यालय आदेश

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन छात्र–शिक्षक अनुपात के मानक के अनुरूप करने की बाध्यता है। उक्त पृष्ठभूमि में नियोजन की प्रकिया को पारदर्शिता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रारंभिक विद्यालयों में यथासंशोधित शिक्षक नियोजन नियमावली 2015 में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में कैम्प के माध्यम से उर्दू शिक्षक का नियोजन एवं नियोजन पत्र वितरण की प्रकिया को सम्पन्न करने हेतु सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–1122, दिनांक–07.10.2016 के आलोक में निम्नांकित निदेश दिया जाता है:–

1. प्रत्येक नियोजन इकाई के द्वारा कोटिवार अवशेष रिक्ति के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची नियोजन पत्र वितरण के लिये आयोजित होने वाले कैम्प की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व मेधा के अनुसार प्रकाशित किया जाना है।
2. नियोजन इकाईवार उक्त मेधा सूची, कोटिवार एवं विषयवार रिक्ति की सूचना एवं कैम्प स्थल की सूचना जिला के एन0 आई0 सी0 के वेबसाइट पर अपलोड कराना अपेक्षित है। रिक्त पदों के अन्तर्गत उन पदों की गणना भी की जानी है, जो इस नियोजन के अन्तर्गत योगदान करने के उपरांत पद छोड़कर किसी दूसरे नियोजन इकाई में योगदान कर लिये हों, ऐसा पद उसी कोटि का माना जायगा जिस कोटि के अभ्यर्थी के द्वारा पद छोड़ा गया हो।
3. नियोजन हेतु कैम्प में अभ्यर्थी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ–साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी को नियोजन पत्र देने के कम में शिक्षक पात्रता का मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया जाना है, ताकि दूसरे अभ्यर्थी को नियोजन का मौका मिल सके।
4. वैसे नियोजन इकाई भी इस कैम्प में सम्मिलित होंगे, जहाँ नियोजन हेतु पूर्व में नियोजन पत्र निर्गत नही हो सका था, ऐसे नियोजन इकाई अनुमोदित मेधा सूची अन्तर्गत सभी अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र वितरण के लिये आयोजित होने वाले कैम्प की तिथि से तीन दिन पूर्व सूचना प्रकाशित करेंगे।
5. नियोजन इकाई द्वारा वरीयता के अनुसार अभ्यर्थी को विभागीय निदेशानुसार कोटिवार तीन बार पुकारा जाना है, अगर वह उपस्थित नही होते हैं तो उनके बाद के अभ्यर्थी को इसी प्रकार तीन बार पुकारा जायगा। इस दौरान यदि वह अभ्यर्थी, जिनका नाम पूर्व में पुकारा गया हो, उपस्थित होकर नियोजन की प्रक्रिया शामिल होना चाहेंगे, तो उन्हें अनुमति नही दी जायगी। वरीयता सूची से सभी अभ्यर्थी को बुलाने के बाद यदि रिक्ति अवशेष रह जाती है तथा सूची में छूटे हुए अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु इच्छुक होंगे, तो नियोजन इकाई द्वारा उनकी नियुक्ति की जा सकेगी। कैम्प दिवस पर नियोजन की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद अनुपस्थित अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व समाप्त माना जायगा।
6. कैम्प तिथि को नियोजन हेतु निर्धारित कालावधि पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थियों के उपस्थिति पंजी को नियोजन इकाई द्वारा बन्द(CLOSE) कर दिया जाना है। इसका अवलोकन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा करते हुए कार्यालय का मुहर भी पंजी पर लगा दिया जायगा।
7. कैम्प पूर्वाह्न 10.30 बजे से 04.30 बजे तक आयोजित किया जाना है।
8. नियोजन पत्र का वितरण कैम्प दिवस पर ही कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में कैम्प तिथि से तीन दिनों के अन्दर नियोजन पत्र निर्गत करा दिया जाना है, अन्यथा नियोजन पत्र निर्गत माना जायगा । साथ ही संबंधित नियोजन इकाई के विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जायेगी।
9. प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाले कैम्प में संबंधित नियोजन इकाई के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर नियोजन प्रकिया को पूर्ण करेंगे। औपचारिक रूप से सूचित करने के वाबजूद यदि मुखिया/सभी सदस्य निर्धारित तिथि/कैम्प में उपस्थित नही होंगे तो उन्हें

Deemed रूप से उपस्थित मानते हुए नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जायेगी। यदि सदस्य सचिव निर्धारित तिथि/कैम्प में उपस्थित नही होंगे, तो उनके विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जायेगी।

अंकनीय है कि संबंधित विभागीय पत्र की प्रतिलिपि जिले के सभी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के ज्ञापांक–1526, दिनांक– 20.10.2016 के द्वारा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित है। साथ ही कैम्प आयोजन से संबंधित कार्यक्रम की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अतएव संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को निदेश दिया जाता है कि सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के निदेशानुसार उपर्युक्त निर्धारित तिथि को कैम्प स्थल पर उपस्थित होकर उर्दू शिक्षक नियोजन की प्रकिया एवं कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जमुई।

जिला पदाधिकारी
जमुई।

ज्ञापांक– 1612 /जमुई, दिनांक– 8/11/16

प्रतिलिपि– सभी ग्राम पंचायत मुखिया/सभी पंचायत सचिव/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे अपने प्रखंड के अन्तर्गत सभी पंचायत नियोजन इकाई को अपने स्तर से विभाग द्वारा निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक–कैम्प स्थल के निर्धारण की प्रति।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जमुई।

जिला पदाधिकारी
जमुई।

PKP DM Letters 2016